न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05 / 2024

अपीलान्ट्स

1 उम्मेदाराम पुत्र भेरूराम (फौत) के कायम मुकाम 1/1 सिपुदेवी पत्नी उम्मेदाराम 1/2 रावताराम पुत्र उम्मेदाराम 1/3 लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम 1/4 सोनू पुत्री उम्मेदाराम 1/5 बिदु पुत्री उम्मेदाराम जातियान मेघवाल निवासीगण पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर

2 कलाराम पुत्र बगताराम 3 दुर्गाराम पुत्र बगताराम 4 धनाराम पुत्र बगताराम 5 शोभाराम पुत्र बगताराम 6 सुरजाराम पुत्र बगताराम जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) जरिये अधीक्षण अभिंयता कार्यालय नागौर।

2 सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) जरिये सहायक अभिंयता कार्यालय खींवसर।

3 तत्कालीन तहसीलदार नागौर हाल तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

4 धन्नाराम पुत्र जीयाराम 5 नेनाराम पुत्र धन्नाराम 6 नारायणराम पुत्र धन्नाराम जातियान मेघवाल निवासीगण पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री जोराराम मेहरा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 की आरे से।

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील नागौर के मौजा बिरलोका हाल मौजा पापासनी के नामान्तरकरण सं. 360 नर्णय दिनांक 22.07.1977 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.01.24 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 25.01.24 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा बिरलोका के नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 22.07.77 की फोटोप्रति, मौजा बिरलोका की जमाबंदी सम्वत् 2077 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, मौजा बिरलोका के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 की फोटोप्रति, जमाबंदी सम्वत् 2020 से 39 की फोटोप्रति, मौजा बिरलोका की जमाबंदी सम्वत् 2006 की फोटोप्रति, मौजा बिरलोका की जमाबंदी सम्वत् 2011 से 14, 2019 से 22, 2015 से 18, 2027 से 30, 2023, 2035 से 38 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स के पुश्तेनी कब्जासुद अविभाजित सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद मौजा बिरलोका में स्थित थी, कालान्तर में बिरलोका के नये गांव पापासनी सृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पापासनी तहसील खींवसर की सरहद में स्थित है तथा बिरलोका (पापासनी) की पहले तहसील नागौर थी, कालान्तर में तहसील खींवसर हो जाने से वर्तमान में खींवसर तहसील में स्थित है। उक्त भूमि पहले उम्मेदाराम पुत्र भैरूराम व बगताराम पुत्र राजूराम की सहखातेदारी की थी, कालान्तर में बगताराम का देहान्त हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक उतराधिकारी अपीलांट संख्या 2 से 6 सहखातेदार दर्ज हुए व उम्मेदाराम अपीलांट संख्या 1 स्वयं मौजूद है। उक्त मूल खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर ही शुरू से ही उम्मेदाराम व बगताराम का कब्जा काश्त रहा व उसी अनुसार अपीलांटान का सम्पूर्ण रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा में लगातार आज दिन कब्जा काश्त है। चूंकि खातेदार अनुसूचित जाति के गरीब अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति रहे है तथा कुछ असामाजिक तत्वों ने अपीलाट्स की पुश्तैनी कब्जासुद खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द कराने के दुराशय से बाले बाले 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि को गे.मु. सडक के रूप में दर्ज करवाने के लिए आपसी मिलीभगती से फर्जी कार्यवाही करते हुए 4 बीघा 13 बिस्वा हम अपीलांटान की खातेदारी में से राजस्व रेकर्ड में कम करवा

28/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

कर उसके नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टयर गे.मु. सडक पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज करवा दी और इसकी कोई जानकारी अपीलांटान को व बगताराम खातेदार को नहीं होने दी। चूंकि अपीलांटान का मौके पर सम्पूर्ण मूल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर आज दिन कब्जा है चारों तरफ सींवे माठ, बाड, तारबंदी करके काश्त करसण करते आ रहे है मगर हाल ही में अपीलांटान ने सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने व के.सी.सी. ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व खतौनी आदि की नकले निकलवाई तब पता चला कि उनके नाम रकबा कम है यानि खसरा नम्बर 1477 रकबा 4.5325 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है व ऑन लाईन नक्शा में हमारे खेत के पश्चिमी तरफ स्थित कटाणी रास्ता के पास में हमारी खातेदारी का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा उतर दक्षिण लम्बाई में रास्ते के लगता हुआ गे.मु. सडक नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टेयर दर्ज हो रखा है तब अपीलांटान को आश्चर्य हुआ व जानकारों से पता करवाया तो जानकारों ने कहा कि इस बाबत म्यूटैशन का पता करके उसकी अपील करो तब म्यूटैशन के बारे में जानकारी करवाई व नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 04.01.2024 को प्रमाणित प्रति मिलने पर सर्व प्रथम उक्त गैर कानूनी अवैध नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 22.07.1977 को जानकारी हुई जिससे यह अपील पेश की, जिससे जानकारी की तारीख से अन्दर मयाद होने से अपील को अन्दर मयाद सुमार किया जावे। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व बिना किसी प्रकार की जांच व विधि प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत किया होने से अवैध है, अपास्त/निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–हस्तगत आराजी में से रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि मनमर्जी से सडक में दर्ज करने व उसका नामान्तरकरण बिना, खातेदारी की सहमति के बिना सूचित किये, बिना नोटिस दिये, बिना भूमि आवाप्त किये, बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये खातेदारी का रकबा कम करके पी. डब्ल्यू.डी. के नाम स्वीकृत करने का तहसीलदार को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जबकि पुराने समय अनुसार सम्पूर्ण रकबा पर आज दिन अपीलांट्स का कब्जा उपयोग उपभोग है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व मनमर्जी से स्वीकृत किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है व रेकर्ड में पूर्वानुसार रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(III)– वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के काश्तकार खातेदारों की खातेदारी की भूमि रही है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करके अन्य किसी के नाम दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी अन्य किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है इसके बावजूद मनमर्जी से 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारी में से कम करे उसका नामान्तरकरण स्वीकृत करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(IV)–नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व उक्त भूमि अपीलांटस की खातेदारी में से कब, किस प्रक्रिया के दौरान कम की गयी, कौनसा आदेश, कैसे किया इस बारे मे कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया, सीधा ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया ऐसा आदेश अपने आप में ही अवैध व निरंकुश आदेश है इन परिस्थितियों में स्वीकृत किया गया कथित नामान्तरकरण अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–जहां तक विधिक स्थिति है प्रथम तो अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि की खातेदारी समाप्त करने या अन्य किसी के नाम दर्ज करना कानूनन वर्जित है दोयम मे यदि अवाप्त की जानी आवश्यक होती तो उससे पूर्व खातेदारों को नोटिस देकर सूचित किया जाकर मौके की स्थिति के अनुसार बाजार दर व सरंचनाओं, पेड पौधों, धोरा पाली, बाड, तारबंदी आदि का उचित मूल्यांकन करके विधिवत मुआवजा देकर भूमि खातेदारों की सहमति से अवाप्त की जानी आवश्यक होती है इसके अलावा उसी सीध में अन्य खातेदारों की भूमियां भी ली जाती है मगर प्रकरण हाजा में न तो नोटिस दिया, न भूमि का मुआवजा दिया न विधिवत अवाप्त की गयी न अन्य कोई विधिक कार्यवाही की गयी और मनमर्जी से अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्यो की ही खातेदारी समाप्त कर पी.डब्ल्यू.डी. के नाम से दर्ज करने बाबत कथित म्यूटैशन भरा गया है जो अवैध होने से अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

28/11/24

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)–नामान्तरकरण जैर अपील हर सुरत में अवैध गैर कानूनी है मोके पर कथित पी.डब्ल्यू.डी. की न तो कोई सडक है न उनका कब्जा न हो सकता है इसक बावजूद केवल राजस्व रेकर्ड में गैर कानूनी नामान्तरकरण के जरिये इन्द्राज किया गया है तथा नामान्तरकरण का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि उसका कोई खुलासा अंकन नहीं है पटवारी द्वारा म्यूटैशन प्रस्ताव के 5 साल बाद नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो चुपके चुपके बिना खातेदारों को सूचित किये, बिना मौका जांच किये, बिना कोई नोटिस दिये, बिना जानकारी दिये ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया व अपीलांटान जो कि ग्रामीण परिवेश के अनुसूचित जाति के लोग है राजस्व रेकर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते है न कभी आवश्यकता हुई है हाल ही में राजस्व रेकर्ड के बारे में नकले लेने पर सारी जानकारी हुई है। विधि विरूद्व कार्यवाही, गैर कानूनी आदेश के विरूद्व जानकारी होने पर कभी भी अपील की जा सकती है और उक्त नामान्तरकरण जैर अपील किसी भी सुरत में वैध नहीं है इस कारण इसे अपास्त कर रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करवाई जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 04 से 06 ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 1477/1738 गैर मुमकिन सडक है जो सडक की भूमि सन 1977 में आवाप्त हुई थी उक्त भूमि का विधिनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत हो गया था और मौके पर उक्त भूमि पर डामरीकरण सडक निर्मित है जो सडक भूमि आवाप्त के तुरंत बाद ही बन गई थी और इस सडक के पास ही कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 866 रहता चला आया था। लेकिन अपीलांट्स ने न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से सडक की भूमि पर अपना कब्जा होना बताया गया है और सडक हेतु आवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने का कथन किया गया है। जबकि मौके पर सडक 40–45 वर्षो से बनी हुई है और करीब 5 मीटर चौडाई में डामरीकरण सडक मौजूदा है। अगर अपीलांट्स को व अपीलांट्स के पूर्वजों को उक्त भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है तो आवाप्ति के समय मुआवजा के संबंध मे अवाप्ति के प्रावधानों के माफिक निश्चित समयावधि के समय आपति करनी चाहिए थी या मुआवजा राशि की अवाप्ति प्रावधानों के माफिक मांग करनी चाहिए थी तथा मुआवजा राशि के संबंध में आवाप्ति के प्रावधानों के अन्तर्गत मांग करने का व आपति करने का प्रावधान है लेकिन अवाप्त की गई भूमि पर जबरन अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने का अपीलांट्स को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील खींवसर के मौजा बिरलोका के नामान्तरकरण सं. 360 निर्णय दिनांक 22.07.1977 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील करीब 47 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 47 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि नहीं होना प्रतीत होता है। इस प्रकार आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर